दिल्ली परिवहन निगम

बनाम

श्याम लाल

अगस्त, 12 2004

(एस.एन.वरियावा और अरिजीत पसायत, जे.जे.)

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947- धारा 33 (1)(बी)- सेवाओं सेहटाने के आदेश की मंजूरी-कदाचार करने वाले कर्मचारी को अनुदान-सेवाओं से निष्कासन- न्यायाधिकरण के निष्कासन आदेश मंजूरी को अस्वीकार कर दिया हालांकि, उच्च न्यायालय ने इसे मंजूर करते हुए-न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखते हुए-अपील पर अभिनिर्धारित कियाः विचार किए साक्ष्य में नहीं था कि सुनी-सुनाई गवाही की प्रकृति और कर्मचारी द्वारा अपराध स्वीकार किया जाता है जो सबसे अच्छा साक्ष्य है-साथ ही खंड पीठ ने इसके आधार पर पुरी तरह से अलग आधार पर मामलों पर निष्कर्ष-इसलिए, खंड पीठ के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को वापस भेज दिया जाता है।

उत्तरदाता - कर्मचारी कंडक्टर के रूप में काम कर रहा था। संबंधित अधिकारी द्वारा की गई जांच के दौरान यह पाया गया है कि प्रत्यर्थी ने एकत्र किया था पैसे लेकिन टिकट जारी नहीं किए। विभागीय कार्यवाही थी शुरू किया गया और उसे दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ आरोप पत्र

जारी किया गया। इसके बाद प्रत्यर्थी ने अपना अपराध स्वीकार किया और उसी के आधार पर, उसे सेवा से हटा दिया गया। अपीलार्थी-निगम का संदर्भ दिया गया हटाने के आदेश की मंजूरी के लिए न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण ने यह मानते हुए मंजूरी नहीं दी कि स्वीकारोक्ति का वास्तव में कोई परिणाम नहीं था; कि जिस अधिकारी ने जांच की थी, उसके पास कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था; और यह कि उस व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान जिसने राशि का भुगतान किया था। जांच का संचालन करने वाले अधिकारी के समक्ष प्रश्न सुनी-सुनाई बातों के साक्ष्य की प्रकृति का था। अपीलार्थी नियोक्ता ने आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी-कर्मचारी को बर्खास्त करने की मंजूरी दे दी। पीडित प्रत्यर्थी ने लेटर्स पेटेंट पत्र दाखिल किए अपील और न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा गया और एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया गया। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी-नियोक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने तत्काल मामले पर अन्य मामलों के साथ विचार करने में गलती की जो अनधिकृत अनुपस्थिति और उसके परिणाम से संबंधित हैं।

प्रतिवादी-कर्मचारी ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने विश्लेषण किया है अपने उचित प्ररिप्रेक्ष्य में तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति और इसकी अनुमोदन देने से इनकार को मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया कि-

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने न्यायाधिकरण के निष्कर्ष प्रथम दृष्टया सही नहीं हैं। यात्री, जिसने अतिरिक्त धन का भुगतान किया था, द्वारा जांच अधिकारी को दिया गया बयान सुनी-सुनाई बातों के साक्ष्य की प्रकृति में नहीं है। इसका प्रभाव भी प्रत्यर्थी द्वारा अपराध के संबंध में स्वीकार किए जाने को उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं माना गया है। यह कानून में एक उचित रूप से स्थापित स्थिति है कि स्वीकारोक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ सबसे अच्छा सबूत है हालाँकि, प्रवेश स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति के लिए यह दिखाने के लिए खुला है कि स्वीकारोक्ति कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा, डिवीजन बेंच ने कर्मचारी द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील पर विचार करते हुए अन्य मामलों पर अपने निष्कर्षो को आधारित किया, जहां तथ्यात्मक पृष्ठभूमि तत्काल मामले में शामिल लोगों के समान नहीं थी। इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को कानून के अनुसार अपने गुण-दोष पर विचार करने के लिए उसे वापस भेज दिया जाता है। (511-बी-डी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 9610/2003

दिल्ली उच्च न्यायालय के 2002 के एल. पी. सं. 298 के निर्णय और आदेश दिनांक 25.09.2002 से

अपीलार्थी की ओर से टी.एल. वी. अय्यर और सुश्री ए. सुभाशिनी।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था।

अरिजीत पासायत, जे.:

दिल्ली परिवहन अनुपात (इसके बाद) नियोक्ता के रूप में संदर्भित) निर्णय की वैधता पर सवाल उठाता है प्रत्यर्थी द्वारा दायर पत्र पेटेंट अपील सं. 298/2002 में पृष्ठभूमि में दिल्ली न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया (इसके बाद 'कर्मचारी के रूप में संदर्भित) प्रतिवादी-कर्मचारी को दुराचार करते हुए पाया गया कंडक्टर के रूप में करते हुए। उसने पैसा इकट्ठा किया था लेकिन टिकट जारी नहीं किया था। जो संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई जांच के दौरान पाए गए थे। उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई और उसे दोषी पाया गया। इस संबंध में एक आरोप पत्र कर्मचारी के विरूद्व जारी किया गया था 22.12.1988 और उन्होने अपना जवाब 30.12.1988 पर जमा किया। इसके बाद 13.1.1989 और 24.2.1989, कर्मचारी ने अपना अपराध स्वीकार किया और नरमी का अनुरोध किया। उनकी स्वीकारोक्ति के आधार पर, उन्हें विभागीय कार्यवाही में दोषी पाया गया और सेवा से हटा दिया गया।

धारा 32(2)(एफ) औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण को एक संदर्भ दिया गया था जांच करने वाले अधिकारी के समक्ष विचाराधीन राशि का भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा दिया गया

बयान सुनी-सुनाई बातों के साक्ष्य की प्रकृति का था। और इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तदनुसार, मांगी गई मंजूरी को अस्वीकार कर दिया गया। नियोक्ता ने न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी। रक्षात्मक नहीं था। तदनुसार, रिट याचिका को अनुमति दी गई और यह था निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी-कर्मचारी का बर्खास्त करने के लिए नियोक्ता को अधिनियम की धारा 33 (2)(बी) के संदर्भ में मंजूरी दी जानी थी।

कर्मचारी ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर चुनौती दी व लेटर्स पेटेंट अपील दायर की। जिस विवादित फैसले के द्वारा कई अपीलों और रिट याचिकाओं का निपटारा किया गया था, न्यायाधिकरण का विचार था जो पुनस्थापित किया गया और विद्वान एकल न्यायाधीश को अलग कर दिया गया।

नियोक्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय वर्तमान मामले के साथ-साथ अन्य मामलों पर विचार करके गंभीर त्रुटियों में पड गया है जो अलग-अलग आधार पर खडे हैं। वे अनधिकृत अनुपस्थिति और उसका परिणाम से संबंधित है। वर्तमान मामला पुरी तरह से अलग था। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और इसलिए, उच्च न्यायालय का निर्णय इसमें नहीं है।

इसके विपरीत, प्रतिवादी-कर्मचारी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने अपने उचित परिप्रेक्ष्य में तथ्यात्मक और कानूनी

स्थिति का विश्लेषण किया है। दृष्टिकोण और अनुमोदन देने से इनकार को मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

हम पाते है कि न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष प्रथम दृष्टया सही नहीं हैं। यात्री द्वारा दिया गया बयान जिसने अतिरिक्त धन का भुगतान किया था सुनी-सुनाई बात के साक्ष्य के रूप मे नहीं है। यह कानून में एक उचित रूप से स्थापित स्थिति है कि स्वीकारोक्ति सबसे अच्छा टुकडा है। स्वीकार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य। हालाँकि, स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति के लिए यह दिखाने के लिए खुला है कि स्वीकारोक्ति पर कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए।

जो भी हो, हम पाते है कि डिवीजन बेंच के साथ व्यवहार करते समय अनाधिकृत अनुपस्थिति से संबंधि मामले और जहां तथ्यात्मक पृष्ठभूमि वर्तमान मामले में शामिल लोगों के समान नहीं थी। केवल उस कम स्कोर पर, डिवीजन बेंच के आदेश को रद्द किया जाना है। हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर मामले को वापस भेज दें कानून के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने के लिएहम स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। अपील की अनुमति ऊपर बताई गई सीमा तक दी जाती है, जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सना खान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।